ए.

थॉमस डेनियल

बनाम

केरल राज्य और ओ. आर. एस.

(2010 की सिविल अपील सं. 7115)

बी.

02 मई, 2022

[एस**.** अब्दुल नजीर और विक्रम नाथ**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानून:सेवानिवृत्ति-गलती से कर्मचारियों को किया गया अतिरिक्त भुगतान, वसूली-तथ्यों पर, कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के लगभग दस साल बाद सेवा में रहते हुए दी गई वेतन वृद्धि की वसूली इस आधार पर कि उक्त वेतन वृद्धि एक त्रुटि के कारण दी गई थी-का औचित्य-आयोजित:यदि कर्मचारी के किसी भी गलत निरूपण या धोखाधड़ी के कारण अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया था या वेतन/भत्ता या नियम/आदेश की व्याख्या की गणना के लिए गलत सिद्धांत लागू करके भुगतान किया गया था, जो बाद में गलत पाया गया है, तो ऐसा अतिरिक्त भुगतान वसूली योग्य नहीं है-वसूली के खिलाफ राहत कर्मचारियों के किसी भी अधिकार के कारण नहीं बल्कि इक्विटी में दी जाती है, जिससे कर्मचारियों को वसूली का आदेश दिए जाने पर होने वाली कठिनाई से राहत मिलती है-हालांकि, यदि त्रुटि का पता चला है या गलत भुगतान के कम समय में सुधार किया गया है या कर्मचारी को अतिरिक्त भुगतान की जानकारी थी, तो अदालतें अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली का आदेश दे सकती हैं-तथ्यों पर, केरल सेवा नियमों की व्याख्या करने में गलती के कारण किए गए अतिरिक्त भुगतान-इस प्रकार, प्रयास करें।

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** यदि कर्मचारी के किसी गलत निरूपण या धोखाधड़ी के कारण अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया था या यदि नियोक्ता द्वारा वेतन/भत्ते की गणना के लिए गलत सिद्धांत लागू करके या नियम/आदेश की एक विशेष व्याख्या के आधार पर ऐसा अतिरिक्त भुगतान किया गया था जो बाद में गलत पाया जाता है**,** तो परिलब्धियों या भत्तों का ऐसा अतिरिक्त भुगतान वसूली योग्य नहीं है।वसूली के खिलाफ यह राहत कर्मचारियों के किसी भी अधिकार के कारण नहीं दी गई है**,** बल्कि न्यायिक विवेक का उपयोग करते हुए कर्मचारियों को उन कठिनाइयों से राहत प्रदान करने के लिए दी गई है जो वसूली का आदेश दिए जाने पर होंगी।

जी.

एच.

606 ए.

607

थॉमस डेनियल बनाम केरल राज्य और ओआरएस।

यदि किसी मामले में**,** यह साबित हो जाता है कि किसी कर्मचारी को जानकारी थी कि प्राप्त भुगतान देय राशि से अधिक था या गलत भुगतान किया गया था**,** या ऐसे मामलों में जहां गलत भुगतान के थोड़े समय के भीतर त्रुटि का पता चला है या सुधार किया गया है**,** मामला न्यायिक विवेकाधिकार के दायरे में है**,** तो अदालतें किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए आदेश दे सकती हैं।**[**पैरा **9] [610-**ए**-**डी**]**

बी.

1.2 यह तर्क नहीं दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा की गई गलत प्रस्तुति या धोखाधड़ी के कारण**,** अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया है।अपीलार्थी **31.03.1999** पर सेवानिवृत्त हो गया है।वास्तव में**,** उत्तरदाताओं का मामला यह है कि अतिरिक्त भुगतान केरल सेवा नियमों की व्याख्या करने में गलती के कारण किया गया था**,** जिसे बाद में महालेखाकार द्वारा इंगित किया गया था।इसे ध्यान में रखते हुए**,** उनकी सेवानिवृत्ति के दस साल बीतने के बाद उक्त वेतन वृद्धि की वसूली का प्रयास अनुचित है।**[**पैरा **14** और **15] [614-ई-**एफ**]**

सी.

डी.

साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य **(1995) 1** पूरक।एससीसी **18;** कर्नल बी**.** जे**.** अक्कारा **(**सेवानिवृत्त**)** बनाम सरकार

भारत और अन्य (2006) 11 एस. सी. सी. 709:[2006] 7

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 58;** सैयद अब्दुल कादिर और अन्य बनाम राज्य

बिहार और अन्य (2009) 3 एस. सी. सी. 475:[2008] 17

एस**.** सी**.** आर**. 917;** पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह

ई.

(व्हाइट वॉशर) और अन्य (2015) 4 एससीसी 334:[2014] 13 एस. सी. आर. 1343-संदर्भित

संदर्भित निर्णय

(1995) 1 पूरक।एस**.** सी**.** सी**. 18** पैरा **10 [2006] 7** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा **11 [2008] 17** एस**.** सी**.** आर**. 917** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 58**

एफ.

पैरा **12** को संदर्भित किया गया

[2014] 13 एससीआर **1343**

पैरा **13** को संदर्भित किया गया

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 7115

जी.

2010.

2006 के डब्ल्यू. ए. सं. 404 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 02.03.2009 के निर्णय और आदेश से।

रागेंथ बसंत, सेंथिल जगदीशन, इकराम गोविंद सिंह, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

एच.

ए.

निशे राजन शोंकर, श्रीमती अनु के. जॉय, आलिम अनवर, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. अब्दुल नजीर, जे.

(1) यह अपील इस मुद्दे को उठाती है कि क्या अपीलार्थी को उनकी सेवा के दौरान दी गई वेतनवृद्धि उनकी सेवानिवृत्ति के लगभग 10 साल बाद इस आधार पर वसूल की जा सकती है कि उक्त वेतनवृद्धि किसी त्रुटि के कारण दी गई थी?

बी.

(2) संक्षेप में, मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

सी.

वर्ष 1966 में, अपीलार्थी क्रेवन हाई स्कूल, कोल्लम में एक हाई स्कूल सहायक/शिक्षक के रूप में सेवा में शामिल हुए, जो एक सहायता प्राप्त स्कूल है।अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने स्नातकोत्तर यानी एम. एससी. करने के लिए 20.10.1972 से 31.03.1973 और फिर 02.07.1973 से 28.03.1974 तक बिना भत्ते के छुट्टी का लाभ उठाया। (रसायन विज्ञान) पाठ्यक्रम।इसके बाद आई. डी. 1 पर, अपीलार्थी को स्कूल के प्रधानाध्यापक के रूप में पदोन्नत किया गया और उसे वरिष्ठ ग्रेड पदोन्नति दी गई और उसके अनुसार उसके वेतनमान में संशोधन किया गया।

डी.

(3) वर्ष 1997 में, 09.10.1997 दिनांकित एक नोटिस के साथ प्रत्यर्थी नं.अपीलार्थी 5 अपीलार्थी -अपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी रअपीलार्थी लअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी हअपीलार्थी ाअपीलार्थी लअपीलार्थी ेअपीलार्थी खअपीलार्थी ाअपीलार्थी कअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ोअपीलार्थी प्रत्यर्थी अपीलार्थी अपीलार्थी नअपीलार्थी ंअपीलार्थी .अपीलार्थी 4- जिला शिक्षा अधिकारी, कोल्लम ने इस आपत्ति के साथ कि अपीलार्थी द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राप्त छुट्टी की अवधि को उसकी कुल योग्यता सेवा का निर्धारण करते समय शामिल नहीं किया जाना चाहिए।इसलिए, अपीलार्थी को दिए गए वेतन और उसके बाद की वृद्धि की वसूली उससे की जानी चाहिए।इस बीच, अपीलार्थी 31.03.1999 पर सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था और तब से उसे न तो पेंशन लाभ दिया गया था और न ही मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान (D.C.R.G)।अपीलार्थी ने विभिन्न अभ्यावेदन दायर किए लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

ई.

एफ.

(4) अंततः आई. डी. 1 पर, अपीलार्थी ने वर्ष 1989 और 1991 के दौरान अपीलार्थी को दी गई वेतन वृद्धि की वसूली के लिए केरल के मुख्यमंत्री, लोक निवारण शिकायत प्रकोष्ठ के समक्ष शिकायत दर्ज करके अपने खिलाफ वसूली कार्यवाही शुरू करने के प्रस्ताव को चुनौती दी।

यहाँ प्रत्यर्थी -केरल राज्य ने 26.06.2000 दिनांकित आदेश द्वारा उक्त शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि स्नातकोत्तर डिग्री-एम. एससी. (रसायन विज्ञान) केरल सेवा नियमों के नियम 91 ए भाग I के अनुसार किसी भी तरह से लोक सेवा के लिए उपयोगी नहीं था, इसलिए, ए

जी.

एच.

609

थॉमस डेनियल बनाम केरल राज्य और ओआरएस।

[एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

बिना भत्ते के छुट्टी को सेवा लाभों के लिए नहीं गिना जा सकता है।इस बीच, केरल सेवा नियमों के नियम 116, भाग III के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर एक आवेदन पर, प्रत्यर्थी नं.3-उप निदेशक शिक्षा, कोल्लम ने 6.10.2000 पर उक्त राशि का 10 प्रतिशत रोके रखने के बाद D.C.R.G राशि का 90 प्रतिशत जारी करने की मंजूरी दी और बाद में 15.01.2001 पर राशि अपीलार्थी को जारी कर दी गई।(5) पीड़ित होते हुए, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, D.C.R.G की शेष राशि भी अपीलार्थी को जारी कर दी गई थी।हालाँकि, प्रत्यर्थी-केरल राज्य ने अपने जवाबी हलफनामे में यह रुख अपनाया कि जिस अवधि के दौरान अपीलार्थी स्नातकोत्तर करने के लिए भत्ते के बिना छुट्टी पर था, उसे वेतन वृद्धि देने के उद्देश्य से नहीं गिना जा सकता है और इसलिए, उनके द्वारा की गई वसूली की मांग उचित थी।विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 05.01.2006 के आदेश के माध्यम से केरल राज्य द्वारा दिए गए तर्क को बरकरार रखा और रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सेवा लाभ प्रदान करते समय संबंधित विभाग द्वारा की गई गलती को बाद में अपीलार्थी की D.C.R.G राशि से प्रस्तावित वसूली के माध्यम से ठीक विद्वान जा सकता है।इसके खिलाफ, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में एक रिट अपील दायर की।उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 02.03.2009 के विवादित आदेश के माध्यम से विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज कर दिया।

बी.

सी.

डी.

ई.

(6) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क होगा कि अपीलार्थी को किया गया अतिरिक्त भुगतान उसकी ओर से किसी गलत निरूपण या धोखाधड़ी के कारण नहीं था।अतिरिक्त भुगतान केरल सेवा नियमों की व्याख्या करने में गलती के कारण किया गया था।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी 31.03.1999 पर सेवानिवृत्त हो गया है।अपीलार्थी को एक बाईपास सर्जरी से गुजरना पड़ा और वह भारी कर्ज में है।बार-बार अनुरोध करने के बाद, D.C.R.G. लाभ उनके पक्ष में जारी किया गया।वह केरल के मुख्यमंत्री, सार्वजनिक निवारण शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा पारित विवादित फैसले और दिनांकित 26.06.2000 आदेश को रद्द करने के लिए प्रार्थना करते हैं।(7) दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों-केरल राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के विवादित फैसले का समर्थन किया है।

एफ.

जी.

(8) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बार में की गई प्रस्तुति पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अध्ययन किया है।

एच.

(9) इस न्यायालय ने निर्णयों के एक समूह में लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि कर्मचारी की किसी गलत प्रस्तुति या धोखाधड़ी के कारण अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया था या यदि नियोक्ता द्वारा वेतन/भत्ते की गणना के लिए गलत सिद्धांत लागू करके या नियम/आदेश की एक विशेष व्याख्या के आधार पर ऐसा अतिरिक्त भुगतान किया गया था, जो बाद में गलत पाया जाता है, तो परिलब्धियों या भत्तों का ऐसा अतिरिक्त भुगतान वसूली योग्य नहीं है।वसूली के खिलाफ यह राहत कर्मचारियों के किसी भी अधिकार के कारण नहीं दी गई है, बल्कि न्यायिक विवेक का उपयोग करते हुए कर्मचारियों को उन कठिनाइयों से राहत प्रदान करने के लिए दी गई है जो वसूली का आदेश दिए जाने पर होंगी।इस न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मामले में, यह साबित हो जाता है कि किसी कर्मचारी को जानकारी थी कि प्राप्त भुगतान देय राशि से अधिक था या गलत भुगतान किया गया था, या ऐसे मामलों में जहां त्रुटि का पता लगाया जाता है या गलत भुगतान के थोड़े समय के भीतर सुधार किया जाता है, मामला न्यायिक विवेक के दायरे में होने के कारण, अदालतें किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए आदेश दे सकती हैं।

बी.

सी.

(10) साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य **1** मामले में यह न्यायालय

डी.

कर्मचारियों की ओर से किसी भी गलत निरूपण के बिना, संबंधित प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक आदेश के गलत निर्माण के कारण उन्नत वेतनमान के तहत दिए गए भुगतान की वसूली को प्रतिबंधित किया गया।यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

"5. मान लीजिए कि अपीलार्थी के पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है।इन परिस्थितियों में अपीलार्थी छूट का हकदार नहीं होगा।प्रधानाचार्य ने उन्हें छूट देने में गलती की।छूट की तारीख से, अपीलार्थी को संशोधित पैमाने पर उसका वेतन दिया गया था।तथापि, यह अपीलार्थी द्वारा किए गए किसी भी गलत निरूपण के कारण नहीं है कि उसे उच्च वेतनमान का लाभ दिया गया था, बल्कि प्राचार्य द्वारा किए गए गलत निर्माण के कारण है जिसके लिए अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।इन परिस्थितियों में अपीलार्थी से आज तक भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं की जा सकती है।समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों पर लागू नहीं होगा।अपील की अनुमति आंशिक रूप से बिना किसी आदेश के लागत के रूप में दी जाती है।"

ई.

एफ.

जी.

(11) कर्नल बी. जे. अक्कारा (सेवानिवृत्त) बनाम भारत सरकार और

अन्य **2** इस न्यायालय ने एक समान प्रश्न पर विचार किया जो निम्नानुसार हैः

1 1995 पूरक (1) एससीसी 18 2 (2006) 11 एससीसी 709 ए

एच.

611

थॉमस डेनियल बनाम केरल राज्य और ओआरएस।

[एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

"27. विचार करने के लिए अंतिम प्रश्न यह है कि क्या दिनांकित 7-6-1999 परिपत्र की गलत व्याख्या/समझ के कारण किए गए अतिरिक्त भुगतानों की वसूली के खिलाफ राहत दी जानी

चाहिए।इस न्यायालय ने एक कर्मचारी से परिलब्धियों/भत्तों के अतिरिक्त गलत भुगतान की वसूली के खिलाफ लगातार राहत दी है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं (साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य [1995 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 18:1995 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 248], श्याम बाबू वर्मा बनाम भारत संघ [(1994) 2 एस. सी. सी. 521:1994 एससीसी (एल एंड एस) 683:(1994) 27 एटीसी 121], भारत संघ बनाम एम. भास्कर [(1996) 4 एससीसी 416:1996 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 967] और वी. गंगाराम बनाम क्षेत्रीय जे. टी. निदेशक [(1997) 6 एस. सी. सी 139:1997 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 1652]):

बी.

सी.

(क) अतिरिक्त भुगतान कर्मचारी की ओर से किसी भी गलत निरूपण या धोखाधड़ी के कारण नहीं किया गया था।(ख) ऐसा अतिरिक्त भुगतान नियोक्ता द्वारा वेतन/भत्ते की गणना के लिए गलत सिद्धांत लागू करके या नियम/आदेश की एक विशेष व्याख्या के आधार पर किया गया था, जो बाद में गलत पाया जाता है।

डी.

28. इस तरह की राहत, अतिरिक्त भुगतान की वसूली को वापस रोकने के लिए, अदालतों द्वारा कर्मचारियों में किसी भी अधिकार के कारण नहीं, बल्कि न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए, कर्मचारियों को उन कठिनाइयों से राहत देने के लिए दी जाती है जो वसूली लागू होने पर होंगी। एक सरकारी कर्मचारी, विशेष रूप से जो सेवा के निचले स्तर पर होता है, वह अपने परिवार के रखरखाव के लिए जो भी वेतन प्राप्त करता है, उसे खर्च करता है।यदि वह एक लंबी अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करता है, तो वह इसे खर्च करेगा, वास्तव में यह मानते हुए कि वह इसका हकदार है।चूंकि अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए कोई भी बाद की कार्रवाई उसे अनुचित कठिनाई का कारण बनेगी, इसलिए उस ओर से राहत दी जाती है।लेकिन जहां कर्मचारी को पता था कि प्राप्त भुगतान देय राशि से अधिक था या गलत भुगतान किया गया था, या जहां त्रुटि का पता चला है या गलत भुगतान के थोड़े समय के भीतर ठीक किया गया है, तो अदालतें वसूली के खिलाफ राहत नहीं देंगी।मामला न्यायिक विवेकाधिकार के दायरे में होने के कारण, अदालतें किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर वसूली के खिलाफ ऐसी राहत देने से इनकार कर सकती हैं।

ई.

एफ.

जी.

29. इसी सिद्धांत पर**,** पेंशनभोगी यह निर्देश भी ले सकते हैं कि गलत भुगतान की वसूली नहीं की जानी चाहिए**,** क्योंकि पेंशनभोगी हैं

एच.

612

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 4 एस सी आर।

सेवारत कर्मचारियों की तुलना में अधिक नुकसानदेह स्थिति में।अतिरिक्त गलत भुगतान की वसूली के किसी भी प्रयास से उन्हें अनुचित कठिनाई होगी।याचिकाकर्ता अतिरिक्त भुगतान के संबंध में किसी भी गलत निरूपण या धोखाधड़ी के दोषी नहीं हैं।कार्यान्वयन विभागों द्वारा गलत समझ के कारण एन. पी. ए. को न्यूनतम वेतन में जोड़ा गया था।इसलिए हमारा विचार है कि उत्तरदाता दिनांक 11-9-2001 के स्पष्टीकरणात्मक परिपत्र के जारी होने तक दिनांक 7-6-1999 के परिपत्र के अनुसरण में पेंशन के लिए किए गए किसी भी अतिरिक्त भुगतान की वसूली नहीं करेंगे।जहां तक परिपत्र दिनांक 1 के बाद किए गए किसी भी अतिरिक्त भुगतान का संबंध है, जाहिर है कि भारत संघ अतिरिक्त राशि की वसूली करने का हकदार होगा क्योंकि उक्त परिपत्र की वैधता को बरकरार रखा गया है और पेंशनभोगियों को पहले की गई गलत गणनाओं के संबंध में नोटिस पर रखा गया है।"

बी.

सी.

(12) सैयद अब्दुल कादिर और अन्य बनाम बिहार राज्य और

अन्य 3 अतिरिक्त भुगतान की वसूली की मांग की गई थी जो अपीलकर्ताओं-शिक्षकों को प्रचलित बिहार राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालय (सेवा शर्तें) नियम, 1983 की गलती और गलत व्याख्या के कारण किया गया था।इसमें अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि भले ही यह अभिनिर्धारित किया जाए कि अपीलार्थी पदोन्नति पर अतिरिक्त वृद्धि के लाभ के हकदार नहीं हैं, लेकिन उनसे अतिरिक्त राशि की वसूली नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उनका भुगतान बिना किसी गलत निरूपण या धोखाधड़ी के किया गया है।न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में अपीलार्थियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और अतिरिक्त भुगतान की वसूली का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए, खासकर जब कर्मचारी बाद में सेवानिवृत्त हो गया हो।न्यायालय ने कहा कि सामान्य भाषा में, न्यायालयों द्वारा वसूली प्रतिबंधित है जहां कर्मचारी की ओर से कोई गलत प्रस्तुति या धोखाधड़ी मौजूद नहीं है और जब किसी नियम या आदेश की गलत व्याख्या/समझ को लागू करके अतिरिक्त भुगतान किया गया है।यह इस प्रकार आयोजित किया गया था:"59. निस्संदेह, अपीलार्थियों शिक्षकों को जो अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया है, वह उनकी

ओर से किसी गलत निरूपण या धोखाधड़ी के कारण नहीं था और अपीलार्थियों को यह भी जानकारी नहीं थी कि उन्हें जो राशि दी जा रही थी, वह उनके अधिकार से अधिक थी।यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि वित्त विभाग ने अपने जवाबी हलफनामे में स्वीकार किया था कि यह उनकी ओर से एक वास्तविक गलती थी।अतिरिक्त भुगतान उस नियम की गलत व्याख्या का परिणाम था जो था

डी.

ई.

एफ.

जी.

3 (2009) 3 एससीसी 475 ए

एच.

613

थॉमस डेनियल बनाम केरल राज्य और ओआरएस।

[एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

यह उन पर लागू होता है, जिसके लिए अपीलार्थियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। बल्कि, पूरा भ्रम बिहार सरकार के संबंधित अधिकारियों की निष्क्रियता, लापरवाही और लापरवाही के कारण था।अपीलार्थी शिक्षकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिकांश लाभार्थी या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या इसके कगार पर हैं।मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अपीलार्थी शिक्षकों को किसी भी कठिनाई से बचने के लिए, हमारा विचार है कि अपीलार्थी शिक्षकों को अधिक भुगतान की गई राशि की कोई वसूली नहीं की जानी चाहिए।"

बी.

(13) पंजाब राज्य और अन्य बनाम रफीक मसीह (सफेद)

सी.

वाशर) और अन्य 4 जिसमें इस न्यायालय ने प्राप्तकर्ता के कहने पर किसी भी गलती या गलत निरूपण के बिना लाभार्थी कर्मचारियों को उनके अधिकारों से अधिक गलत तरीके से दिए गए मौद्रिक लाभ की वसूली के लिए राज्य द्वारा पारित आदेश की वैधता की जांच की।इस न्यायालय ने किसी कर्मचारी को होने वाली कठिनाई की स्थितियों पर विचार किया, यदि वसूली को नियोक्ता को प्रतिपूर्ति करने के लिए निर्देशित किया जाता है और उसे अनुमति नहीं दी जाती है,

तो लाभार्थी कर्मचारियों को ऐसी वसूली से छूट दी जाती है।यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः“8. जैसा कि दोनों पक्षों के बीच होता है, यदि उस पार्टी के पक्ष में संकल्प किया जाता है, जो दोनों में से कमजोर है, दूसरे को कोई गंभीर नुकसान पहुँचाए बिना (जो वास्तव में एक कल्याणकारी राज्य है), तो हल किया गया मुद्दा न्याय की अवधारणा के अनुरूप होगा, जो भारत के नागरिकों को, यहां तक कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी आश्वस्त किया गया है। नियोक्ता द्वारा वसूली के अधिकार की तुलना संबंधित कर्मचारी पर वसूली के प्रभाव से करनी होगी।यदि संबंधित कर्मचारी से वसूली का प्रभाव नियोक्ता के राशि की वसूली के संबंधित अधिकार की तुलना में अधिक अनुचित, अधिक गलत, अधिक अनुचित और अधिक अनुचित होगा, तो वसूली को प्रभावित करना अन्यायपूर्ण और मनमाना होगा।ऐसी स्थिति में, कर्मचारी का अधिकार संतुलन से बाहर हो जाएगा, और इसलिए नियोक्ता के पुनर्प्राप्ति के अधिकार को ग्रहण कर देगा।

डी.

ई.

एफ.

जी.

XXX

XXX

XXX

18. उन सभी कठिनाइयों की स्थितियों को अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है जो कर्मचारियों को वसूली के मुद्दे पर नियंत्रित करती हैं, जहां नियोक्ता द्वारा गलती से भुगतान किया गया है।

4 (2015) 4 एस. सी. सी. 334

एच.

हकदारी।चाहे जो भी हो, ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आधार पर, हम एक तैयार संदर्भ के रूप में, निम्नलिखित कुछ स्थितियों का सारांश दे सकते हैं, जिनमें नियोक्ताओं द्वारा वसूली, कानून में अस्वीकार्य होगीः

(i) तृतीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (या समूह सी और समूह डी सेवा) से संबंधित कर्मचारियों से वसूली।

बी.

(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों, या उन कर्मचारियों से वसूली जो एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वसूली के क्रम से।(iii) कर्मचारियों से वसूली, जब वसूली का आदेश जारी होने से पहले पांच साल से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त भुगतान किया गया हो।

सी.

(iv) ऐसे मामलों में वसूली जहां एक कर्मचारी को गलत तरीके से एक उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक किया गया है, और उसी के अनुसार भुगतान किया गया है, भले ही उसे एक निम्न पद के खिलाफ काम करने के लिए उचित रूप से आवश्यक किया गया हो।

(v) किसी भी अन्य मामले में, जहां न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यदि कर्मचारी से वसूली की जाती है, तो वह इस हद तक अन्यायपूर्ण या कठोर या मनमाना होगी, जो नियोक्ता के वसूली के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन से कहीं अधिक होगी।" (14) वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, हमारे समक्ष यह तर्क नहीं दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा गलत तरीके से प्रस्तुत किए जाने या धोखाधड़ी के कारण, अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया है। अपीलार्थी 31.03.1999 पर सेवानिवृत्त हो गया है।वास्तव में, उत्तरदाताओं का मामला यह है कि अतिरिक्त भुगतान केरल सेवा नियमों की व्याख्या करने में गलती के कारण किया गया था, जिसे बाद में महालेखाकार द्वारा इंगित किया गया था।

डी.

ई.

(15) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उनकी सेवानिवृत्ति के दस साल बीतने के बाद उक्त वेतन वृद्धि की वसूली का प्रयास अनुचित है।

एफ.

(16) परिणामस्वरूप, अपील सफल हो जाती है और तदनुसार अनुमति दी जाती है।डिवीजन बेंच का दिनांक 02.03.2009 का निर्णय और आदेश और इसमें आक्षेपित उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश का दिनांक 05.01.2006 का आदेश और केरल के मुख्यमंत्री के सार्वजनिक निवारण शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा पारित 26.06.2000 का आदेश और दिनांकित 09.10.1997 की वसूली सूचना को इसके द्वारा अपास्त करना दिया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

जी.

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

एच.

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)